

भारत सरकार  
रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
उर्वरक विभाग

लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या 345\*

जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2023/3 चैत्र, 1945 (शक) को दिया जाना है।

रसायनों और उर्वरकों की आपूर्ति

345\*. श्री नामा नागेश्वर रावः  
श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने रूस-यूक्रेन युद्ध को देखते हुए रसायनों और उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) ऐसे उत्पादों की सूची का ब्यौरा क्या है जिनकी आपूर्ति रूस-यूक्रेन संकट के कारण बाधित हुई है;
- (घ) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान रसायनों और उर्वरकों का जैव-उर्वरकों से प्रतिस्थापन करने के सम्बन्ध में कोई कदम उठाए हैं; और
- (ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री

(डा. मनसुख मांडविया)

---

(क) से (ङ.): विवरण सदन के सभापटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

“रसायनों और उर्वरकों की आपूर्ति” के संबंध में श्री नामा नागेश्वर राव और श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी द्वारा पूछे गये दिनांक 24.03.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.345\* में उल्लिखित विवरण।

-----

(क) से (ग): रूस-यूक्रेन युद्ध के बावजूद देश में उर्वरकों की उपलब्धता निम्नानुसार सहज रही है:

20 मार्च, 2023 तक भारत में उर्वरकों का उपलब्धता परिदृश्य						
(आंकड़े एलएमटी में)						
	रबी 2021-22		खरीफ 2022		रबी 2022-23	
उत्पाद	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	मौसमी आवश्यकता	20.03.2023 तक उपलब्धता
यूरिया	179.01	224.04	179.01	219.98	180.18	232.95
पीएण्डके	136.43	144.56	142.36	154.05	126.73	171.42
#पीएण्डके समूह में डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस शामिल है।						

हिन्दुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी नामक 03 स्वदेशी यूरिया इकाइयों के पुनरुद्धार के साथ ही स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़कर 283.74 एलएमटी हो गया है। इसी प्रकार 02 संयंत्रों अर्थात् मध्य भारत एगो प्रोडक्ट लिमिटेड और कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड की पीएण्डके उर्वरकों की स्वदेशी उत्पादन क्षमता क्रमशः 2.4 एलएमटी और 3.3 एलएमटी तक बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त, स्वदेशी रूप से उत्पादित पीडीएम या शीरे से प्राप्त पोटाश (0-0-14.5-0) को भी एनबीएस योजना के तहत शामिल कर लिया गया है।

सरकार पूर्णतः स्वदेशी तौर पर विनिर्मित सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) को भी बढ़ावा दे रही है जो डीएपी का एक अच्छा विकल्प है। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एसएसपी के लिए भी मालभाड़ा राजसहायता अधिसूचित की है।

भारत सरकार ने नैनो-यूरिया को भी उर्वरक (नियंत्रण आदेश), 1985 में तीन वर्ष की अनंतिम अवधि के लिए अधिसूचित किया है। तदनुसार, प्रति वर्ष 17 करोड़ बोतलों (500 मिलीलीटर प्रत्येक) की कुल क्षमता वाले तीन संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, उर्वरकों की खपत और उत्पादन के बीच के अंतर को कम करने के लिए निम्नानुसार उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समय पर आयात किया गया है:-

वर्ष 2019-20 से 2022-23 (फरवरी'23 तक) हेतु उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके) का आयात				
<मात्रा एलएमटी में>				
वर्ष	यूरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीके
		कंपनियों द्वारा सूचित किए गए अनुसार		
2019-20	91.23	48.70	36.70	7.46
2020-21	98.28	48.82	42.27	13.90
2021-22	91.36	54.62	24.60	11.70
2022-23 (फरवरी'23 तक)	73.98	61.48	17.74	24.35

इसके अतिरिक्त, तीन वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक तौर पर 10 एलएमटी यूरिया के आयात हेतु भारत सरकार और ओक्स्यू ट्रेडिंग (ओमिफको की एक व्यापारिक शाखा) के बीच एक क्लीन टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

**(घ) और (ड.):** भारत सरकार ऑर्गेनिक उर्वरक और जैव-उर्वरकों के संयोजन के साथ मृदा परीक्षण आधारित सिफारिशों के आधार पर उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम लागू कर रही है, जो मृदा की उर्वरता स्थिति (पोषकतत्व की स्थिति पर मृदा परीक्षण आधारित जानकारी) प्रदान करने के अलावा मृदा के स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए अनुप्रयुक्त होने वाली पोषकतत्वों की उचित खुराक की भी सिफारिश करती है। इसके अतिरिक्त, परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), नमामि गंगे, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी), मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन (एमओवीसीडीएनईआर), नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग (एनपीओएफ) आदि ऑर्गेनिक स्कीमों के तहत किसानों को ऑर्गेनिक और जैव-उर्वरकों के उपयोग के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र (एनसीओएफ) ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पैदा करने और प्रशिक्षण गतिविधियों में शामिल है। गत पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22) के दौरान जैव उर्वरकों का राज्य-वार उत्पादन **अनुलग्नक-क** के रूप में संलग्न है।

\*\*\*\*\*

## अनुलग्नक-क

## गत 5 वर्ष (2017-18 से 2021-22 तक) के दौरान जैव उर्वरकों का राज्यवार उत्पादन

क्र. सं.	राज्य	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
		कैरियर आधारित (मीट्रिक टन में)	तरल आधारित (केएल में)	कैरियर आधारित (मीट्रिक टन में)	तरल आधारित (केएल में)	कैरियर आधारित (मीट्रिक टन में)	तरल आधारित (केएल में)	कैरियर आधारित (मीट्रिक टन में)	तरल आधारित (केएल में)	कैरियर आधारित (मीट्रिक टन में)	तरल आधारित (केएल में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	4983.60	369.80	263.88		228.30		123.20	98.50	353.87	62.61
3	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	कर्नाटक	34493.00	1352.90	3253.70	758.20	3606.70	1218.00	1446.50	870.53	1510.61	1368.37
5	केरल	6040.10	82.90	108.20	2.10	91.00	5512.10	164.98	2612.00	127.19	660.60
6	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	पुदुचेरी	297.60	28.40	121.90	6.20	121.90	7.60	97.20	2.16	90.15	5.66
8	तमिलनाडु	28059.40	983.90	4187.20	536.80	11611.00	1481.60	88652.43	434.31	0.00	1108.89
9	तेलंगाना	574.20	43.70	2556.30	12711.70	1536.30	174.80	448.70	150.10	290.31	105.00
10	छत्तीसगढ़	969.10	16.60	172.00	133.70	26.80	189.60	558.88	268.68	9.78	103.45
11	गुजरात	4248.20	3519.30	10596.00	430.50	20778.00	9444.00	19483.30	8055.70	24772.14	8030.32
12	गोवा	838.70	0.00	2044.00	0.00	50.00	0.00	30.00	0.00	124.26	0.00
13	मध्य प्रदेश	6561.50	290.40	7426.50	327.20	1330.00	315.60	21834.30	15811.10	6584.79	84200.00
14	महाराष्ट्र	10024.90	427.40	15049.80	4193.80	15897.00	237.10	5328.20	2140.90	7452.94	4680.88
15	राजस्थान	791.80	1.10	791.80	1.10	2142.80	0.00	10612.00	0.00	0.00	0.00
16	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	दिल्ली	119.70	0.00	394.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00
18	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	हरियाणा	2504.60	76.00	2128.70	246.50	2794.80	0.00	3105.40	113.17	99809.61	108982.00
20	हिमाचल प्रदेश	8.50	209.70	135.10	12.10	320.00	137.90	0.20	0.22	120.45	137.00
21	जम्मू और कश्मीर*	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	3.30
22	पंजाब	5645.30	236.10	7167.40	220.80	9252.20	192.50	16042.27	361.37	3063.70	85.70
23	उत्तर प्रदेश	3441.30	744.00	2451.80	2444.60	2142.80	2539.90	0.00	5725.64	132.11	0.00
24	उत्तराखंड	3942.10	533.90	3359.80	281.40	3119.00	4980.00	3708.80	1150.80	3476.03	566.84
25	बिहार	128.80	0.02	130.80	0.00	375.00	1900.00	74.60	2.10	6545.66	0.00
26	झारखंड	21.00	0.01	21.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	ओडिशा	560.20	46.20	8166.90	149.70	449.20	1719.00	19406.60	859.60	13367.97	200.82
28	पश्चिम बंगाल	3513.10	37.70	2050.00	37.70	2200.00		448.60	33.50	703.00	12.48
29	अरुणाचल प्रदेश	232.90	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	असम	1742.60	33.10	617.20	0.00	640.30	4.90	438.54	3447.35	524.85	22582.00
31	मणिपुर	23.90	0.00	81.50	100.00	13.20	11.50	20.00	24.01	22.10	24.74
32	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	मिजोरम	9.00	0.00	2.50	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.90	0.00
34	नागालैंड	70.60	0.00	17.50	0.00	18.70	0.00	19.10	0.00	6.04	0.00
35	सिक्किम	33.20	0.00	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	11.31
36	त्रिपुरा	1187.90	0.03	81.80	0.00	340.10	39.80	283.99	9.02	117.04	2.32
	<b>कुल</b>	<b>121066.80</b>	<b>9033.21</b>	<b>73377.28</b>	<b>22645.64</b>	<b>79436.70</b>	<b>30105.90</b>	<b>192329.19</b>	<b>42239.76</b>	<b>169379.04</b>	<b>232934.29</b>

स्रोत: क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केन्द्र (आरसीओएनएफ) के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार के कृषि विभाग